

बाह्य भारतीय प्रत्यक्ष विदेशी निवेश: हाल की प्रवृत्तियाँ और उभरते मुद्दे *

हारून आर. खान

हाल के वर्षों में उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाएँ (ईएमई) शेष विश्व के लिए विदेशी निवेश का स्रोत बनती जा रही हैं। यह केवल वैश्विक अर्थव्यवस्था में उनकी बढ़ती सहभागिता का ही संकेत नहीं है बल्कि उनकी क्षमता का भी संकेत है। इससे भी अधिक आज परिवर्तन के लिए जो बढ़ती प्रेरणा दिखाई दे रही है वह विकासशील देशों तथा मार्गस्थ अर्थव्यवस्थाओं से आ रही है जहाँ कि बहुत से प्राइवेट तथा सरकारी स्वामित्व के उद्यम, विदेशी प्रत्यक्ष निवेशों (एफडीआई) के माध्यम से लगातार बाह्य प्रसार में जुटे हैं। क्षेत्रीय तथा वैश्विक पहुँच बनाने के लिए विदेशों में निवेश करके बहुत सी कंपनियाँ अपने कारोबार परिचालनों में विस्तार ला रही हैं।

ए. बाह्य विदेशी निवेशों को गति प्रदान करने वाले तत्व

2. यूएनसीटीएडी की 2011 की विश्व निवेश रिपोर्ट के अनुसार विकसित अर्थव्यवस्थाओं से आउटवर्ड एफडीआई का स्टॉक दस वर्ष पहले के 857 बिलियन अमरीकी डॉलर (वैश्विक बाह्य एफडीआई स्टॉक का 10.8 प्रतिशत) से बढ़कर 2010 में 3.1 ट्रिलियन अमरीकी डॉलर (वैश्विक बाह्य एफडीआई स्टॉक का 15.3 प्रतिशत) तक पहुँच गया। प्रवाह आधार पर विकासशील अर्थव्यवस्थाओं से बाहर की तरफ जाने वाला प्रत्यक्ष निवेश 2005 के 122 बिलियन अमरीकी डॉलर से बढ़कर 2010 में 328 बिलियन अमरीकी डॉलर हो गया जो कि विश्व स्तर पर कुल बाह्य एफडीआई का लगभग चौथाई बनता है।

3. एफडीआई वैश्विक प्रक्रिया का एक प्राकृतिक विस्तार है जो प्रायः निर्यातों से शुरू होता है। इस प्रक्रिया में देश, बाजारों और संसाधनों तक पहुँच बनाने की कोशिश करते हैं, और ऐसे देशों में विदेशी निर्माण परिचालनों का विस्तार करके उत्पादन और लेन देन की लागत घटाने की कोशिश करते हैं, जहाँ कुछ स्वामित्व विशिष्ट लाभ, उन्हें विश्व में प्रतियोगी बनाने में मदद कर सकते हैं। इस प्रकार की कार्यनीतियाँ अपनाने से उन्हें प्रतियोगी अर्थव्यवस्थाओं तक पहुँच पाने में मदद मिलती है।

* 2 मार्च 2012 को बॉम्बे चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एण्ड इंडस्ट्री, मुंबई में रिजर्व बैंक के उपगवर्नर श्री हारून आर.खान द्वारा दिया गया अभिभाषण। भाषणकर्ता, श्री आर. राजगोपालन, श्री राजन गोयल तथा श्री राजीव जैन, और श्री सुरजीत बोस द्वारा दिए गए योगदान की सराहना करते हैं।

4. हाल के वर्षों में भारत के मामले में भी बाह्य एफडीआई में उठान की एक महत्वपूर्ण प्रवृत्ति दृष्टिगोचर हुई है। चूँकि वैश्वीकरण एक दुतरफा प्रक्रिया है, इसलिए भारतीय अर्थव्यवस्था का शेष विश्व से एकीकरण, न केवल अधिक एफडीआई भारत में आने बल्कि अधिक एफडीआई भारत से बाहर जाने में भी दृष्टिगोचर होता है।

5. एफडीआई के जरिए घरेलू कार्पोरेट के विदेशी निवेश ने उन्हें वैश्विक नेटवर्कों तथा बाजारों तक अच्छी तरह पहुँच पाने में, तथा प्रौद्योगिकी तथा कौशल के अंतरण में मदद दी है और साथ ही उन्हें अनुसंधान और विकासात्मक प्रयासों और परिणामों को आपस में बाँटने में भी समर्थ बनाया है। इसे मेजबान देश में अपनी ब्रांड की छवि बढ़ाने तथा वहाँ उपलब्ध कच्चे माल का उपयोग करने की कार्पोरेट कार्यनीति के रूप में भी देखा जा सकता है। भारतीय परिप्रेक्ष्य में विदेशों में किए जाने वाले निवेशों को, प्रमुखतः संसाधन प्राप्त करने अथवा बाजार प्राप्त करने अथवा प्रौद्योगिकी प्राप्त करने के लक्ष्यों के रूप में ही देखा जा सकता है। हाल के वर्षों में भारतीय कंपनी द्वारा संसाधन प्राप्त करने के लिए किए जाने वाले विदेशी निवेशों में काफी वृद्धि हुई है विशेष कर ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, तथा अफ्रीका में ऊर्जा संसाधन अधिग्रहीत करने के लिए।

6. इसी पृष्ठभूमि के आलोक में भारतीय बाहरी एफडीआई से संबंधित हाल की प्रवृत्तियों और उभरते मुद्दों के बारे में मैं कुछ बोलना चाहूँगा। आज की इस चर्चा के लिए इस सामयिक विषय का चयन करने के लिए मैं बॉम्बे चैंबर ऑफ कॉमर्स को धन्यवाद देता हूँ। मेरी इस प्रस्तुति में मैं संक्षेप में भारत में आउटवर्ड एफडीआई नीति के विकास, आउटवर्ड एफडीआई की प्रवृत्तियों पर उनके विश्लेषण, आउटवर्ड, एफडीआई के निधियन के पैटर्न, भारतीय रिजर्व बैंक तथा भारत सरकार द्वारा किए गए उपायों, तथा उभरते मुद्दों पर चर्चा करूँगा और अंत में आगे की राह पर अपने विचार रखूँगा।

बी. विदेशों में किए जाने वाले निवेश से संबंधित भारतीय नीति का विकास

7. अर्थव्यवस्थाओं में नीतियों में होने वाले परिवर्तनों ने वैश्विक अर्थव्यवस्था में बाह्य निवेश की पद्धति को बहुत हद तक प्रभावित

किया है। फिर भी पूंजीबहिर्प्रवाहों से जुड़ी चिंताओं को देखते हुए, विभिन्न देशों की सरकारें, खासकर उभरती और विकासशील अर्थव्यवस्थाएँ, बहिर्निवेश से संबंधी नीतिगत उदारीकरण करने में अपेक्षाकृत काफी चौकन्नी हैं। इसलिए इस उल्लेख के साथ यह देखना आवश्यक है कि इससे संबंधित भारतीय नीति का विकास किस प्रकार हुआ है।

8. भारतीय परिप्रेक्ष्य में संयुक्त उद्यमों (जे.वी.) तथा पूर्ण स्वामित्व की सहायक संस्थाओं (डब्ल्यूओएस) में किए जाने वाले, विदेशी निवेशों को, भारतीय उद्यमियों ने वैश्विक कारोबार बढ़ाने की महत्वपूर्ण सरणियाँ माना है। इस संबंध में व्यापक दृष्टिकोण यह रहा है कि संयुक्त उद्यमों तथा पूर्ण स्वामित्व की सहायक संस्थाओं के माध्यम से प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को सुगम बनाया जाए तथा निर्यातों को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाए जिसमें भारत से किए जाने वाले निर्यात की परियोजनाएँ भी शामिल हों। भारत में पूँजी आगम में हुई वृद्धि, विशेषकर 2000 के द्वितीय अर्द्ध में समग्र विदेशी मुद्रा प्रारक्षित स्थिति ने पूँजी नियंत्रणों में क्रमिक ढिलाई तथा भारत से बाहर जाने वाले निवेशों की प्रक्रियाओं के सरलीकरण को काफी आरामदेह बनाया। भारतीय बाह्योन्मुख एफडीआई नीतियों के विकास को तीन विशिष्ट ओवरलैपिंग चरणों में बांटा जा सकता है।

चरण I (1992 से 1995) : भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण की अवधि

9. 1991-92 में भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण तथा वैश्वीकरण की प्रक्रिया के पहले से ही, आउटवर्ड एफडीआई से संबंधित दिशानिर्देश वजूद में थे विकासशील अर्थव्यवस्था की बदलती जरूरतों के दृष्टिगत, 1992 में कई नीतिगत परिवर्तन किये गये। स्पष्टतः ये नियम काफी प्रतिबंधात्मक थे तथा 'कोई नकद धन प्रेषण नहीं' की शर्त पर थे और यह भी अधिदेश था कि विदेशी परियोजनाओं के लाभों से मिलनेवाला लाभांश प्रत्यावर्तित किया जाए। 1992 में विदेशी निवेशों के लिए 'स्वचालित रूट' की शुरुआत की गई और पहली बार "नकद-प्रेषणों" की अनुमति प्रदान की गई, फिर भी, कुल वैल्यू की सीमा, 2 मिलियन अमरीकी डॉलर रखी गई जिसमें 3 वर्षों के ब्लॉक में नकद घटक, 0.5 मिलियन अमरीकी डॉलर से अधिक नहीं होना चाहिए।

चरण II (1995 से 2000) : द्रुत गति पथ का निर्माण

10. 1995 में एक व्यापक नीति ढाँचा निर्धारित किया गया तथा एक सिंगल विंडो क्लियरेंस तंत्र प्रदान करने के लिए विदेशी निवेशों

के अनुमोदन से संबंधित कार्य, वाणिज्य मंत्रालय से, भारतीय रिजर्व बैंक को अंतरित कर दिया गया। इस नीतिगत ढाँचे में स्पष्टतः एक संगुणित दृष्टिकोण इंगित किया गया जो कि भविष्य में आने वाली संभावित प्रवृत्तियों के प्रत्युत्तर के लिए काफी लोचनीय था। इसमें पारदर्शिता, वैश्विक घटनाक्रम को मान्यता, भारतीय वास्तविकताओं पर ध्यान देने, तथा बीते समय से पाठ सीखने की जरूरत परिलक्षित थी नीति के बुनियादी उद्देश्यों में *अन्य बातों के साथ-साथ* यह सुनिश्चित करना था कि ऐसे बहिर्प्रवाह वाणिज्यिक हितों द्वारा निर्धारित किए जाते हैं और ये देश की बृहत् आर्थिक तथा भुगतान संतुलन बाध्यताओं के अनुरूप हों, खासतौर पर पूँजी प्रवाहों की मात्रा के संबंध में नीति के अनुसार एक द्रुत गति मार्ग अपनाया गया विदेशी निवेश जिसमें सीमाएँ 2 मिलियन अमरीकी डॉलर से बढ़ा कर 4 मिलियन अमरीकी डॉलर कर दी गईं और इन्हें गत तीन वर्षों की औसत निर्यात आय के साथ जोड़ दिया गया। नकद धन प्रेषण की सीमा 0.5 मिलियन अमरीकी डॉलर ही रखी गई। 4 मिलियन अमरीकी डॉलर से बाद की सीमाओं के लिए इन्हें सामान्य रूट के अंतर्गत विचार के लिए रखा गया जिसे कि एक विशेष समिति द्वारा अनुमोदित किया जाना था। इस समिति में भारतीय रिजर्व बैंक के वरिष्ठ प्रतिनिधि (अध्यक्ष) तथा वित्त विदेशी मामलों तथा वाणिज्य मंत्रालयों के प्रतिनिधि शामिल थे (सदस्य)। 15 मिलियन अमरीकी डॉलर से अधिक के निवेश प्रस्तावों पर, विशेष समिति की सिफारिशों पर, वित्त मंत्रालय द्वारा विचार किया जाना था और यदि अपेक्षित संसाधन जीडीआर रूट के माध्यम से जुटाए गए थे तो उन्हें आम तौर पर अनुमोदित कर दिया जाता था।

11. मार्च 1997 में निर्यातकों के अलावा, विदेशी मुद्रा कमाने वालों को भी फास्ट ट्रेक के अंतर्गत लाया गया। भारतीय प्रमोटर्स को भी, दूसरी, और उसके बाद की पीढ़ी की कंपनियाँ स्थापित करने की मंजूरी दी गई बशर्ते कि पहली पीढ़ी की कंपनी द्रुत गति मार्ग के अंतर्गत स्थापित की गई हो। भारत के सॉफ्टवेयर उद्योग की क्षमता बढ़ाने, लागतें कम करने, गुणवत्ता में सुधार लाने, तथा विदेशों में निवेश करने जैसे कई उपाय किए गए तथा उन्हें लागू किया गया। फेमा की शुरुआत से पहले सुधार प्रक्रिया के एक हिस्से के रूप में, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के साथ जुड़ी तटस्थता¹ की शर्त को, 1999 में हटा दिया गया। तथापि जून 2000 में विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) की शुरुआत के बाद आउटवर्ड एफडीआई के स्कोप को काफी विस्तृत कर दिया गया।

¹ तटस्थता का अर्थ वह स्थिति है जिसमें बाहर किए गए निवेश की राशि को पाँच वर्षों के भीतर, लाभांश - रॉयल्टी आदि के माध्यम से, पूरी तरह प्रत्यावर्तित किया जाना है।

चरण III (2000 से आज तक) फेमा के अंतर्गत उदारीकृत प्रेम वर्क

12. 2002 में स्वतः अनुमोदन की ऊपरी सीमा को बढ़ा कर 100 मिलियन अमरीकी डॉलर कर दिया गया तथापि यह ऊपरी सीमा बंद कर दी गई जब भारतीय पार्टियों² को अपनी निवल सम्पत्ति की शत प्रतिशत की सीमा तक निवेश करने में समर्थ बनाने के लिए, मार्च 2003 में आउटवर्ड एफडीआई के स्वतः रूट को और उदार बनाया गया। तबसे आउटवर्ड एफडीआई की सीमा शनैः शनैः बढ़ा कर 400 प्रतिशत कर दी गई। तथापि निवल संपत्ति की 400 प्रतिशत की यह सीमा निम्नलिखित के लिए लागू नहीं है:

- क. भारतीय पार्टी के विनिमय अर्जक विदेशी मुद्रा (ईईएफसी) खाते में धारित शेष में से अथवा एडीआर/जीडीआर के माध्यम से, विदेश में जुटाई गई निधियों में से निवेश।
- ख. तेल, गैस, कोयला तथा खनिज कच्ची धातुओं जैसे ऊर्जा और प्राकृतिक संसाधनों में लगी भारतीय कम्पनियों; तथापि उन्हें भारतीय रिजर्व बैंक से पूर्वानुमोदन लेने की आवश्यकता होगी।

13. सरकारी क्षेत्र के *नवरत्न* उद्यमों द्वारा तेल क्षेत्र की अनिगमित कंपनियों में (सहभागिता हित के द्वारा) विदेशी निवेशों की अनुमति ऑटोमेटिक रूट के अंतर्गत दी गई और बाद में यह सुविधा अन्य भारतीय निकायों को भी प्रदान कर दी गई। इसके अतिरिक्त 2004 में बाह्य वाणिज्य उधार लेने की नीति में संशोधन किया गया और जुटाई गई निधियों के अनुमत अंतिम उपयोग के रूप में, संयुक्त उद्यमों/विदेशों की पूर्ण स्वामित्व वाली संस्थाओं (डब्ल्यूओएस) के निधीयन को भी शामिल कर दिया गया।

14. इस समय कोई भी भारतीय पार्टी कुछ संपत्ति संबंधी गतिविधियों (अर्थात् सम्पत्ति की खरीद और बिक्री अथवा टीडीआर की ट्रेडिंग) तथा बैंकिंग कारोबार (जो किसी अन्तर-मंत्रालयीन ग्रुप द्वारा विचारित किए जाते हैं) जिन पर कि विशिष्टतः प्रतिबंध लगाया गया है, को छोड़कर किसी भी वास्तविक गतिविधि में सीधा विदेशी निवेश कर सकती है। तथापि वित्तीय सेवा क्षेत्र में गतिविधियाँ चलाने के लिए रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित कुछ शर्तों का पालन करने की जरूरत होती है। भारतीय कापोरेट क्षेत्र के लिए अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय बाजारों तक

² कोई भारतीय पार्टी भारत में निगमित एक कंपनी है अथवा संसद के अधिनियम के अंतर्गत निर्मित एक निकाय है अथवा भारतीय भागोदारी अधिनियम 1932 के अंतर्गत पंजीकृत, एक भागोदारी फर्म है तथा रिजर्व बैंक द्वारा यथा अधिसूचित भारत में अन्य कोई संस्था है। जब एक से अधिक ऐसी कोई कंपनी, निकाय अथवा संस्था, किसी विदेशी संस्था में निवेश करती है तो ऐसा मिश्रण भी 'भारतीय पार्टी' ही कहलाएगा।

पहुँच को भी क्रमिक रूप से उदारीकृत किया गया है और उन्हें अपने देश-पारीय अधिग्रहणों के वित्तपोषण के लिए अंतर्राष्ट्रीय पूँजी बाजारों में विशेष प्रयोजन माध्यम (एसपीवी) के प्रयोग की अनुमति भी दी गई। इस नीतिगत उदारीकरण का प्रभाव यह पड़ा कि अब भारतीय कापोरेट जगत काफी तेज गति से विदेशों में अधिग्रहण कर रहा है।

सी. विदेशों में की जानेवाली एफडीआई की प्रवृत्ति का विश्लेषण

15. हालाँकि विदेशी निवेश के संबंध में किए गए नीतिगत बदलावों से भारतीय कापोरेट क्षेत्र ने विदेशों में अधिग्रहणों को सुगम बनाया है फिर भी 1992 से किए जा रहे अन्य संरचनागत सुधारों, जैसे -औद्योगिक अविनियमन, व्यापारिक उदारीकरण तथा इनवर्ड एफडीआई को नियंत्रित करने वाले विनियमों में छूट से भारतीय उद्योग में व्यापक पुनर्संरचना हुई। वस्तुतः बहुत सी अग्रणी कंपनियाँ प्रतियोगी बनने की अपनी योग्यता के लिए सुधार प्रक्रिया को ही श्रेय देती हैं। अंदरूनी तथा बाह्य प्रतियोगिता में शरीक होना भारतीय कंपनियों में आत्मविश्वास की वृद्धि का मुख्य कारण बना जिससे कि वे विश्व बाजार में विदेशी प्रतियोगियों से मुकाबला कर पाईं। विदेशी निवेश के लिए एक उदार नीति पर्यावरण के अतिरिक्त, भारत ने, और कई कारणों से एक महत्वपूर्ण निवेशक के रूप में अपना स्थान बनाया है और ये कारण हैं (क) तेज आर्थिक विकास (ख) वित्तीय संसाधनों तक सुगम पहुँच तथा (ग) विदेशों में संसाधन तथा कार्यनीतिगत परिसम्पत्तियाँ अधिग्रहीत करने में मजबूत प्रेरणा।

16. किसी को यह नहीं समझना चाहिए कि भारतीय कम्पनियों द्वारा विदेशी निवेश 1990 में शुरू हुआ। असल में भारतीय फर्मों ने 1960 से ही विदेशों में निवेश शुरू कर दिया था। परंतु विदेशों में निवेश के लिए भारत की प्रतिबंधात्मक नीतियों की वजह से यह विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में छोटे-मोटे संयुक्त उद्यमों तक ही सीमित रहे। विदेशों में पहला भारतीय उद्यम, बिरला ग्रुप द्वारा 1959 में इथियोपिया में एक कपड़ा मिल की स्थापना थी (अथुकोराला 2009)³। तथापि ये विदेशी निवेश परिचालन, पश्चिम तथा पूर्व अफ्रीका, मिडल ईस्ट तथा दक्षिण और पूर्व एशिया में ही भौगोलिक रूप से संकेंद्रित थे, क्योंकि इनके साथ भारत के ऐतिहासिक संबंध थे और ये कोलोनियल हेरिटेज के हिस्से थे। भारतीय विदेशी निवेश में स्थायी वृद्धि 1970 से होनी शुरू हुई जब औद्योगिक लाइसेंसिंग प्रणाली काफी कड़ी थी।

³ अथुकोराला, प्रेमाचंद्रा (2009), 'आउटवर्ड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट प्रॉम इंडिया', एशियन डिवेलपमेंट रिव्यू, खंड 26, संख्या 2

सारणी 1 : बाहर गए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) तथा जारी की गई गारंटियों के संबंध में वास्तविक बहिर्प्रवाहों की वर्षवार स्थिति

(मिलियन अमरीकी डॉलर)

अवधि	इक्विटी	ऋण	इन्वोक की गई गारंटी	जोड़	जारी की गई गारंटी
2000-2001	602.12	70.58	4.97	677.67	112.55
2001-2002	878.83	120.82	0.42	1,000.07	155.86
2002-2003	1,746.28	102.10	0.00	1,848.38	139.63
2003-2004	1,250.01	316.57	0.00	1,566.58	440.53
2004-2005	1,481.97	513.19	0.00	1,995.16	315.96
2005-2006	6,657.82	1,195.33	3.34	7,856.49	546.78
2006-2007	12,062.92	1,246.98	0.00	13,309.90	2,260.96
2007-2008	15,431.51	3,074.97	0.00	18,506.48	6,553.47
2008-2009	12,477.14	6,101.56	0.00	18,578.70	3,322.45
2009-2010	9,392.98	4,296.91	24.18	13,714.07	7,603.04
2010-2011	9,234.58	7,556.30	52.49	16,843.37	27,059.02
2011-12*	4,031.45	4,830.01	0.00	8,861.46	14,993.80
जोड़	75,247.61	29,425.32	85.40	10,4758.30	63,504.05

* अप्रैल 2011 से फरवरी 22, 2012

गत एक दशक में विदेशों में किए गए निवेशों की प्रवृत्ति

17. एक प्रवृत्ति विश्लेषण बताता है कि, 1999-2000 से, भारत से विदेशों में किए गए निवेश की मात्रा, कई गुणा बढ़ी है। 2000 के दशक के उत्तरार्द्ध (2005-06 से 2009-10) के दौरान, "निवल बाह्य विदेशी निवेश प्रवाह"(भुगतान संतुलन आधार पर) 74.3 बिलियन अमरीकी डॉलर हो गया, जब कि 2000 के दशक के पूर्वार्द्ध (2000-01 से 2004-05) में यह केवल 8.2 बिलियन अमरीकी डॉलर था। यद्यपि 2009-10 के संकट के वर्ष में, भारत के आउटवर्ड एफडीआई की प्रवृत्ति कुछ प्रभावित हुई, तथापि 2010-11 में यह फिर तेजी से पलटी और इसमें वृद्धि हुई (सारणी 1)।

18. हाल के वर्षों में, 'आउटवर्ड एफडीआई' का वित्तपोषण, मुख्यतः इक्विटी तथा ऋणों के माध्यम से हुआ है। हालांकि, जारी की गई गारंटियों की संख्या बढ़ी है फिर भी 2009-10 तथा 2010-11 के दौरान उनका "इन्वोकेशन" लगभग नगण्य रहा है। यह पाया गया है कि 2000 के दशक में, 'स्वचालित रूट' के अन्तर्गत आउटवर्ड एफडीआई प्रस्तावों की संख्या में भी बढ़ोतरी हुई है जिससे इंगित होता है कि भारतीय कॉर्पोरेट जगत विदेशों में अपनी पदछाप छोड़ने तथा उदार विनियामक तंत्र के लिए कितना अधिक उत्सुक है।

वैश्विक परिप्रेक्ष्य में भारत की स्थिति

19. भारत से विदेशों में जाने वाली एफडीआई अधिकतर इक्विटी तथा ऋणों के माध्यम से ही रही (सारणी 1)। यूएनसीटीएडी की विश्व निवेश रिपोर्ट 2011 के अनुसार एफडीआई बहिर्प्रवाहों की मात्रा

सारणी 2 : अनुमोदन रूट तथा स्वचालित रूट के अंतर्गत प्रस्तावों की संख्या

अवधि	अनुमोदन रूट	स्वचालित रूट	जोड़
2008-09	6	974	980
2009-10	4	690	694
2010-11	19	1,187	1,206
2011-12*	10	1,123	1,133

* अप्रैल 2011 से 22 फरवरी 2012

के आधार पर विश्व में भारत का 21 वां स्थान है। 2010 में भारतीय कंपनियों द्वारा निवल खरीदों⁴ के मूल्य के आधार पर (अर्थात् विदेशों में अधिग्रहण सौदे) अमरीका, कनाडा, जापान तथा चीन के बाद भारत का स्थान विश्व में पाँचवां था।

भारतीय पारदेशीय कंपनियों की निवेश प्रवृत्तियाँ

20. घरेलू कंपनियों द्वारा विदेशों में किए गए निवेश की मात्रा भी काफी बढ़ी है और निवल खरीद सौदों के औसत आकार के संदर्भ में, 2010 में, भारत का स्थान चीन के बाद दूसरा था (चीन के 197 मिलियन अमरीकी डॉलर की तुलना में भारत के 190 मिलियन अमरीकी डॉलर)। इसी प्रकार भारत का नाम उन पाँच उभरती और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है जिनके सरकारी स्वामित्व के उद्यम धीरे-धीरे पारदेशीय निगमों के रूप में अवतरित हो रहे हैं। यह कोई अचंभे की बात नहीं है क्योंकि हाल के वर्षों में भारत की सरकारी क्षेत्र की इकाइयों (पीएसयू अर्थात् एनटीपीसी, गेल, ओएनजीसी तथा नाल्को) ने कई महत्वपूर्ण ग्रीन फील्ड विदेशी निवेश किए हैं।

क्षेत्रगत निवेश प्रवृत्तियाँ

21. 2006-07 से 2010-11 के दौरान की आउटवर्ड एफडीआई के क्षेत्रगत पैटर्न से प्रदर्शित हुआ है कि यह मुख्यतः सेवा और निर्माण क्षेत्र में निवेशित हुआ है। 2010-11 में निर्माण क्षेत्र के भीतर जिन प्रमुख उप-सेक्टरों ने भारत से आउटवर्ड एफडीआई को आकर्षित किया उनमें कृषि मशीनरियाँ और उपकरण बेसिक ऑर्गेनिक रसायन, ड्रग्स, औषधियाँ और संबद्ध उत्पाद, परिष्कृत पेट्रोलियम उत्पाद, देसी चीनी इत्यादि शामिल थे। इसी प्रकार सेवा क्षेत्र में अधिकांश आउटवर्ड एफडीआई, कारोबार सेवाओं, आंकड़ा संसाधन, वित्तीय सेवाओं, आर्किटेक्चरल तथा इंजीनियरिंग, इंजन, आर्किटेक्चरल तथा अन्य तकनीकी परामर्श गतिविधियों में की गई (सारणी 3)।

⁴ किसी स्वदेश-अर्थव्यवस्था द्वारा निवल पारदेशीय विलयन और अधिग्रहण खरीदों से आशय है स्वदेश आधारित टीएनसी की विदेशी संबद्ध कंपनियों द्वारा नैटिड स्वदेश आधारित टीएनसी द्वारा विदेशों में कंपनियों की खरीद।

**सारणी 3 : भारतीय कंपनियों द्वारा प्रमुख सेक्टर-वार
विदेशी निवेश**

(राशि बिलियन अमरीकी डॉलर में)

अवधि	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12*	जोड़
निर्माण (मैनुफैक्चरिंग)	10.18	5.35	5.04	2.74	23.31
वित्तीय बीमा रियलएस्टेट कारोबार, तथा कारोबार सेवाएं	3.55	4.41	6.53	2.53	17.03
थोक तथा खुदरा व्यापार, रेस्तरां तथा होटल	1.17	1.13	1.89	1.00	5.19
कृषि और सम्बद्ध गतिविधियां	2.38	0.95	1.21	0.41	4.94
परिवहन, संचार तथा भंडारण सेवाएं	0.31	0.38	0.82	1.34	2.85
निर्माण (कन्स्ट्रक्शन)	0.35	0.36	0.38	0.37	1.46
सामुदायिक, सामाजिक तथा व्यक्तिगत सेवाएं	0.39	0.18	0.70	0.18	1.45
बिजली, गैस तथा पानी	0.14	0.84	0.10	0.04	1.19
विविध	0.12	0.11	0.18	0.10	0.51
जोड़	18.58	13.71	16.84	8.73	57.86

*अप्रैल 2011 से 22 फरवरी 2012

22. 1990 के दशक के अंत से भारतीय बहिरोन्मुख एफडीआई, अधिक हाइ-टैक तथा "व्यापार-समर्थक-सेक्टरों" को दी जाने लगी। कई भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी कंपनियों, जैसे - टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो तथा सत्यम ने वैश्विक ठेके अधिग्रहीत किए और अपने प्रमुख ग्राहकों के नजदीक रहने के लिए, विकसित अर्थव्यवस्थाओं में विदेशी कार्यालय स्थापित किए। इनके अतिरिक्त हाल के वर्षों में जिन सेक्टरों ने, भारत से विदेशी एफडीआई का महत्वपूर्ण हिस्सा आकर्षित किया है उनमें कच्चा पेट्रोलियम निकालना, तेल और गैस फील्ड सेवाएं तथा खनन की प्रासंगिक सेवाएं शामिल हैं।

प्राकृतिक और कार्यनीतिगत संसाधनों के अधिग्रहण के लिए निवेश प्रवृत्तियाँ

23. क्षेत्रगत पैटर्न सुझाता है कि भारतीय कार्पोरेट क्षेत्र द्वारा किए गए व्यापक बाहरी निवेश के पीछे 'प्रेरणा दीर्घावधि कार्यनीतिगत विचार' रहे हैं, न कि अल्पावधि लाभ प्रदत्ता - उदाहरणार्थ: ओएनजीसी के पूर्ण स्वामित्व की सहायक कंपनी ओएनजीसी विदेश लि. की इस समय, मध्य पूर्व अफ्रीका की सीआइएस तथा सुदूर पूर्व और लैटिन अमरीका के 14 देशों में 33 परियोजनाओं में विदेशी परिसम्पत्तियाँ हैं। ऑयल इंडिया लिमिटेड की उपस्थिति आठ देशों में है जो कि प्रमुखतः लीबिया, गैबोन, ईरान, नाइजीरिया तथा सूडान के एक्सप्लोरेशन ब्लॉक्स के संदर्भ में है। इसी प्रकार कोल इंडिया लिमिटेड ने, विदेशों में कोयला आस्तियों के अधिग्रहण तथा भारत के बाहर धातुकार्मिक तथा "ताप कोयला परिसम्पत्तियों" के अधिग्रहण हेतु, अन्य कंपनियों के साथ मिलकर, एक संयुक्त उद्यम कंपनी 'इंटरनेशनल कोल वेंचर्स लि.' की भी स्थापना की है। निस्सारक

(एक्सट्रैक्टिव) उद्योगों में भारतीय कंपनियों द्वारा किए जाने वाले विदेशी निवेश का महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि त्वरित आर्थिक वृद्धि घरेलू क्षेत्र में औद्योगीकरण तथा शहरीकरण और बढ़ती जिन्स कीमतों की पृष्ठभूमि में, देश को प्राकृतिक संसाधनों की दीर्घावधि, स्थायी आपूर्ति की गारंटी के लिए इसकी जरूरत है।

24. इसी प्रकार की प्रवृत्ति अन्य प्रमुख उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं, खासकर "ब्रिक-समूह" के अन्य सदस्यों में भी देखी गई है। वस्तुतः, एफटी 500 की सूची में से ब्रिक समूह से, विदेशों में निवेश करने वाली कंपनियों की संख्या, 2006 की 20 से बढ़कर 2008 में 62 हो गई है (द इकोनोमिस्ट 10 सितम्बर 2011), जिससे उनके बढ़ते विदेशी कारोबार परिचालन परिलक्षित होते हैं। एक साझी विशेषता यह सामने आई है कि "ब्रिक-अर्थव्यवस्थाओं" की घरेलू कंपनियाँ, कच्चे माल की आपूर्ति तक अपनी पहुँच बढ़ाने की कोशिश कर रही हैं तथा कार्यनीतिगत जिन्सों के नए घटकों की ओर जा रही हैं तथा वैल्यू चेन में ऊपर की ओर बढ़ने में लगी हैं फिर भी, तेल और गैस तथा अन्य प्राकृतिक-संसाधन-आधारित उद्योग, ब्राजील तथा चीन की तुलना में, भारतीय आउटवर्ड एफडीआई में अपेक्षाकृत कम प्रमुखता लिए हुए हैं।

25. टाटा स्टील, हिन्डालको, भारती एयरटेल इत्यादि ने, हाल के वर्षों में, जो अन्य प्रमुख विदेशी अधिग्रहण किए हैं, वे भी उनकी विजातीय (इन्ऑर्गेनिक) वृद्धि कार्यनीतियों के ही हिस्से रहे हैं। इन मामलों में अधिग्रहण, वैश्विक आकार तथा दर्जा पाने, तथा सर्वोत्तम अंतर्राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी तथा कम लागत वाली भारतीय श्रमशक्ति के मिश्रण से, नया स्पर्धात्मक लाभ पाने के विशिष्ट उद्देश्य से ही किए गए (सत्यानन्द तथा राघवेन्द्रन, 2010)⁵।

निर्दिष्ट गंतव्य निवेश प्रवृत्तियाँ

26. 'बाह्य एफडीआई' की दिशा से प्रकट होता है कि यह विभिन्न देशों के बीच अधिक विविधीकृत होती जा रही है। अपने गत पथ (अर्थात् 1990 के दशक से पूर्व) से विचलन करते हुए, जबकि कंपनियाँ (भारतीय) उन देशों में निवेश कर रही थीं जहाँ कि प्रौद्योगिकीय स्पर्धा कम थी, अभी हाल ही की प्रवृत्ति यह है कि अब भारतीय विदेशी निवेश, अधिकाधिक विकसित अर्थव्यवस्थाओं में किये जा रहे हैं (सारणी 4) जिससे अंशतः भारतीय कार्पोरेट्स का बढ़ता आत्मविश्वास परिलक्षित होता है तथा प्रतियोगी दरों पर विदेशी परिसंपत्तियों की उपलब्धता भी इंगित होती है।

⁵ सत्यानन्द, पी.एन., तथा पी. राघवेन्द्रन (2010), 'भारत से आउटवर्ड एफडीआई तथा इसके नीतिगत संदर्भ', 'सस्टेनेबल अंतरराष्ट्रीय निवेश' पर वेब कोलम्बिया सेंटर द्वारा जारी 'कोलम्बिया एफडीआई प्रोफाइल', 22 सितम्बर।

**सारणी 4 : भारतीय कंपनियों द्वारा शीर्ष
दस-देशवार विदेशी निवेश**

(राशि बिलियन अमरीकी डॉलर में)

देश	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12*	जोड़
सिंगापुर	4.06	4.20	3.99	1.86	14.11
मारीशस	2.08	2.15	5.08	2.27	11.57
नीदरलैंड्स	2.79	1.53	1.52	0.70	6.54
यू.एस.ए.	1.02	0.87	1.21	0.87	3.97
यू.ए.ई.	0.63	0.64	0.86	0.38	2.51
ब्रिटिश विर्जिन आइलैंड्स	0.00	0.75	0.28	0.52	1.55
यू.के.	0.35	0.34	0.40	0.44	1.53
कैमैन आइलैंड्स	0.00	0.04	0.44	0.14	0.62
हॉंगकॉंग	0.00	0.00	0.16	0.31	0.46
स्विट्ज़रलैंड	0.00	0.00	0.25	0.16	0.41
अन्य देश	7.65	3.19	2.65	1.23	14.71
जोड़	18.58	13.71	16.84	8.86	

*अप्रैल 2011 से 28 फरवरी 2012

**विदेशों में निवेश के लिए एसपीवी अथवा एमएण्डए
रूट के प्रयोग की प्रवृत्ति**

27. जो भारतीय कंपनियाँ विदेशों में निवेश कर रही हैं उनमें से अधिकतर ने या तो अपनी "ओवरसीज़-स्थानीय रूप से निगमित सहायक संस्थाओं" का प्रयोग किया है या नियंत्रक कंपनियाँ स्थापित की हैं और/ अथवा अपतटीय वित्तीय केंद्रों अथवा अन्य क्षेत्रीय वित्तीय केंद्रों में विशेष प्रयोजन माध्यमों/संस्थाओं का प्रयोग किया है। 2005 में लिवरेज्ड खरीदारियों को सुगम बनाते हुए भारतीय कंपनियों को विदेशों में किए जाने वाले अधिग्रहणों के वित्त पोषण के लिए अंतर्राष्ट्रीय पूँजी बाजारों में एसपीवी जारी करने की अनुमति प्रदान की गई। तब से मॉरीशस, सिंगापुर तथा नीदरलैंड्स जैसे अपतटीय वित्तीय केंद्रों में स्थापित एसपीवी को निधियाँ जुटाने और तीसरी दुनिया के देशों में निवेश करने के लिए माध्यम के रूप में ही प्रमुखतः इस्तेमाल किया गया है। ऐसा मुख्यतः कारोबारी और विधिक स्थितियों, कराधान लाभों और इन देशों में वित्तीय संसाधनों तक आसान पहुँच बनाने के उद्देश्य से किया गया है।

28. जहाँ विकसित अर्थव्यवस्थाओं में विदेशी निवेश मुख्यतः विलय और अधिग्रहण के माध्यम से किया जा रहा है, वहीं विकासशील देशों में प्रवेश मुख्यतः ग्रीन फील्ड निवेशों के माध्यम से देखा गया है। विकसित देशों में विदेशी निवेश के लिए विलय और अधिग्रहण रूट अपनाएने का भारतीय कंपनियों का कारण यह भी है कि इन अर्थव्यवस्थाओं के बाजार परिपक्व और सैचुरेटिड होते हैं अतः कंपनियाँ ग्रीन फील्ड निवेशों की बजाय अधिग्रहणों के माध्यम से बाजार हिस्सा प्राप्त करने को ज्यादा अच्छा समझती हैं। 'द

इकोनोमिस्ट' (10 सितंबर 2011) में प्रकाशित एक हाल के लेख में बताया गया है कि टाटा जैसी कंपनियों द्वारा किए गए बड़े अधिग्रहण अपेक्षित स्केल तक शीघ्रता से पहुँचने का एक माध्यम थे। आज टाटा समूह की कंपनियाँ यू.के. में सबसे बड़ी निर्माण और रोजगार प्रदान करने वाली कंपनियाँ बताई जाती हैं।

**डी. विदेशों में की जाने वाली एफडीआई का
निधीयन पैटर्न**

29. जहाँ तक विदेशी निवेशों के निधीयन से संबंधित नीति का संबंध है इसकी अनुमति कई तरह से दी जाती है। इन स्रोतों में मुख्यतः ये शामिल हैं (i) भारत के किसी अधिकृत डीलर से तटवर्ती विदेशी मुद्रा की खरीद; (ii) तकनीकी जानकारी परामर्श सेवाओं, प्रबंधकीय तथा अन्य सेवाओं की आपूर्ति के लिए किसी विदेशी संस्था से निर्यातों, शुल्कों, रॉयल्टी तथा अन्य बकाया राशियों के कारण विदेशी संस्था से प्राप्य विदेशी मुद्रा का पूँजीकरण; (iii) भारतीय संस्था के शेयरों से विदेशी संस्था के शेयरों की अदला-बदली; (iv) किसी प्राधिकृत डीलर के पास रखे किसी भारतीय संस्था के विनिमय अर्जक विदेशी मुद्रा (ईईएफसी) खातों में रखी शेष राशियों का उपयोग; (v) ईसीबी/एफसीसीबी के जरिए विदेशी मुद्रा प्रोसीड्यूर, तथा (vi) विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बाँड जारी करने के लिए योजना के अनुसार जारी की गई एडीआर/जीडीआर का विनिमय।

30. अमरीका में किए गए भारतीय निवेशों पर आधारित "विरटस ग्लोबल पार्टनर्स (अप्रैल 2011)" द्वारा किए गए हाल के एक अध्ययन ने यह पुष्टि की है कि आंतरिक उपचय (एक्रुअलज), भारतीय कंपनियों द्वारा 2010 में प्रयुक्त किए गए प्रमुख वित्तपोषण विकल्प थे⁶। इसमें यह भी पाया गया कि 2009 तथा 2010 में अमरीका में किए गए भारतीय अधिग्रहणों में से आधे, विपत्ति में पड़ी ऐसी परिसंपत्तियों की खरीदारियाँ थीं जिनकी मूल कंपनियाँ वैश्विक संकट से बुरी तरह प्रभावित हुई थीं। विदेशी बाजारों में इन अवसरों का लाभ उठाकर 2009 में भारतीय कंपनियों ने बहुत से अधिग्रहण / निवेश सौदे किए (उदाहरणतः एस कुमार - हार्टमैक्स, केडिलास - नोवावैक्स, पीरामल - आर एक्सइलीट और 31-एनआरएलबी इत्यादि)।

भारतीय बैंकों की भूमिका

31. हालांकि आमतौर पर भारत में बैंकों को प्रोमोटर्स के इक्विटी योगदानों को निधि प्रदान करने की अनुमति नहीं है, फिर भी रणनीतिक निवेश के रूप में नई अथवा विद्यमान अन्य विदेशी कंपनियों अथवा

⁶ भारतीय कंपनियों द्वारा अमरीका में किए गए अधिग्रहण, 2010 लेन देनों का विश्लेषण, अप्रैल 2011

विदेशी संयुक्त उद्यमों/पूर्व स्वामित्व की सहायक कंपनियों में इक्विटी के अधिग्रहण के लिए घरेलू बैंकों को, भारतीय कंपनियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने की अनुमति है। इस नीति में, इस प्रकार के वित्त पोषण की समग्र सीमा, उधारकर्ताओं की पात्रता से संबंधित शर्तें, प्रतिभूति, मार्जिन इत्यादि शामिल होने चाहिए। हालांकि बैंक का निदेशक मंडल इस प्रकार के ऋण वितरण के लिए अपने स्वयं के दिशा-निर्देश तथा सुरक्षोपाय बना सकता है, मगर ऐसे अधिग्रहण, कंपनी और देश के लिए लाभकारी होने चाहिए।

32. विदेशों में भारतीय कारोबार को ऐसी वित्तीय सहायता को सुगम बनाने के लिए रिजर्व बैंक ने भारतीय संयुक्त उद्यम (जहाँ कि भारतीय कंपनी विदेशों में पूर्ण स्वामित्व की सहायक संस्थाओं की धारिता 51 प्रतिशत से अधिक है)/ को बैंकों द्वारा प्रदान की जाने वाली ऋण और गैर ऋण सुविधाओं पर विवेकाधीन सीमा को, उनकी अन-अनर्जक पूँजी निधियों (स्तर I तथा स्तर II पूँजी) की वर्तमान 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 20 प्रतिशत कर दिया है। भारत में बैंकों को, विदेशों में भारतीय कंपनियों (जहाँ कि भारतीय कंपनी की धारिता 51 प्रतिशत या उससे अधिक है) की सहायक कंपनियों की पूर्ण स्वामित्व की स्टैप-डाउन सहायक कंपनियों को निधिदत्त और/अथवा गैर-निधिगत ऋण सुविधाएँ प्रदान करने की अनुमति भी 10 मई 2007 से दी गई तथापि अन्य बातों के साथ-साथ बैंकों को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि संयुक्त उद्यम/पूर्व स्वामित्व की सह संस्थाएँ ऐसे देश में अवस्थित हैं, जहाँ इस प्रकार का विदेशी मुद्रा ऋण प्राप्त करने अथवा ऋण/ब्याज के प्रत्यावर्तन का कोई प्रतिबंध नहीं है और वे इस प्रकार के एक्सपोज़र्स प्राप्त करके विदेशी प्रतिभूतियों/आस्तियों पर विधिक भार निर्मित कर सकते हैं।

निर्यात-आयात बैंक की भूमिका

33. अपने स्थापना काल से ही आयात-निर्यात बैंक, विदेशों में प्रत्यक्ष भारतीय निवेश को समर्थित कर रहा है और इसके अधिदेश के कारण इस संबंध में इसकी भूमिका काफी अनन्य है। आयात-निर्यात-बैंक का विदेशी निवेश वित्त (ओआईएफ), विदेशों में भारतीय निवेश के पूर्ण चक्र को कवर करता है जिसमें भारतीय संयुक्त उद्यमों तथा पू.स्वा.सह.संस्थाओं की वित्तीय आवश्यकताएँ तथा वित्तीय लिखतों का मिश्रण समाहित है और इसमें ये सब शामिल हैं - (ए) भारतीय कंपनी की इक्विटी सहभागिता के लिए वित्त (बी) विदेशी स. उद्यमों / पू.स्वा.सह.संस्थाओं को सीधा वित्त (सी) सुविधा प्राप्त (लिवरेज्ड) खरीदारियों सहित विदेशी कारोबार/कंपनियों के अधिग्रहण के लिए वित्त तथा (डी) सीधा इक्विटी निवेश। 31 दिसम्बर 2011 की स्थिति में आयात निर्यात बैंक, 29 देशों में 298 से भी अधिक कंपनियों द्वारा

स्थापित 374 उद्यमों के लिए कुल ₹240.92 बिलियन के लिए ऋण अनुमोदित कर चुका है।

भारतीय निर्यात ऋण गारंटी निगम (ईसीजीसी) की भूमिका

34. जहाँ कुछ विदेशी अधिग्रहणों को भारी सफलता मिली है वहीं कुछ निवेश, कुछ ही समय में, पूरी तरह बट्टे खाते डाल दिए गए हैं। हालांकि असफलताओं के कई कारण हैं, परंतु कार्यशील आर्थिक तथा विनियामक पर्यावरण में आए प्रतिकूल बदलावों के सामने खड़े होने की असमर्थता, इसका सर्वाधिक प्रधान कारण रहा है। इसलिए यह एक संकेत है कि विदेशों में निवेश करने की प्रक्रिया में पर्याप्त जोखिम मंदकों की जरूरत है।

35. 1980 में ईसीजीसी ने विदेशी निवेश बीमा योजना शुरू की। इस योजना की शुरुआत से लेकर अब तक केवल 5.73 बिलियन रुपए कुल मूल्य के, 61 बीमा कवर जारी किए गए। इस योजना की कम लोकप्रियता का एक जो तार्किक स्पष्टीकरण दिया जाता है वह यह है कि ऐसी अवधारणा है कि बीमे की लागत अधिक है (जो कि देश और निवेश की अवधि को देखते हुए 1 से 2.5 प्रतिशत प्रतिवर्ष के बीच है)। मगर यहाँ यह भी देखना जरूरी है कि यह योजना युद्ध, स्वामित्व हरण तथा 'विदेशी-मुद्रा-प्रत्यार्पण-प्रतिबंधों' सहित, कितने राजनैतिक जोखिमों के लिए निवेशों हेतु बीमा कवर प्रदान कर रही है। इस प्रकार जो कंपनियाँ राजनीतिक रूप से सुभेद्य देशों में निवेश करना चाहती हैं, उन्हें, इस बीमा कवर से अधिक लाभ मिलेगा बजाय कि विकसित देशों में निवेश करने की तुलना में।

विशेष सुविधा खरीदारियों के लिए विशेष प्रयोजन माध्यम पथ

36. वर्तमान पू.स्वा.सह.संस्थाओं/संयुक्त उद्यमों अथवा एसपीवी का उपयोग विशेष सुविधा प्राप्त खरीदारियों के रूट के जरिए किए जाने वाले अधिग्रहणों के निधीयन के लिए किया जा रहा है जो कि घरेलू तुलनपत्र के जोखिम को घटाता है। निवेश का एक बड़ा हिस्सा विदेशों में इस प्रयोजन के लिए स्थापित एसपीवी के माध्यम से किया गया है। यह निधीयन प्रायः विदेशी बैंकों के माध्यम से शेयरों द्वारा अथवा लक्ष्य कंपनी की परिसंपत्तियों द्वारा और/अथवा भारतीय पेरेंट द्वारा दी गई गारंटियों के जरिए किया जाता है। अब तक कंपनियों ने अपने विदेशी अधिग्रहणों को वित्त पोषित करने के लिए अधिकतर अपनी धारित आय (आंतरिक स्रोत) तथा उधारों (बाह्य स्रोत) के मिश्रण का प्रयोग किया है। यह उस प्रथा के काफी उलट है जो कि कई

अन्य देशों के पारदेशीय विलयनों एवं अधिग्रहणों के लिए अपनाई जाती है जहाँ कि शेयरों की अदला-बदली, वित्तपोषण का एक लोकप्रिय विकल्प है। सॉफ्टवेयर उद्योग⁷ के कुछ बड़े लेन-देनों को छोड़ कर। भारत में शेयरों की अदला-बदली, कोई अनुकूल भुगतान विकल्प के रूप में नहीं उभरी है। सुधार के बाद की अवधि के दौरान भारतीय पूँजी बाजार में काफी उदारीकरण हुआ है जिसके परिणामस्वरूप भारतीय कंपनियों के शेयरों के, बाजार पूँजीकरण में भी, इन वर्षों में काफी सुधार हुआ है जिससे उन्हें अपने विदेशी निवेशों को वित्तपोषित करने के लिए विदेशी पूँजी बाजारों तक और अधिक पहुँच बनाने में सुविधा हुई है। इसके अतिरिक्त कार्पोरेटों की आय में निरंतर वृद्धि होने से लाभप्रदता बढ़ी है और भारतीय कंपनियों के तुलनपत्र मजबूत हुए हैं, जिससे उन्हें अपने आंतरिक संसाधनों के जरिए पारदेशीय अधिग्रहण करने में मदद मिली है।

ई. भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किए गए उपाय

37. बृहद् बुनियादी स्थिति में सुधार और पूँजी खाते नियमों की नीति में अनुसंशोधित छूट के प्रति झुकाव होने के कारण, 2003 से, विदेशी निवेश नीति में महत्वपूर्ण उदारीकरण हुआ है। देश में विदेशी मुद्रा के भंडार बनने के अनुरूप विदेशी सीधे निवेश के बड़े रास्ते खुले हैं, और जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, यह नेटवर्थ के 400 प्रतिशत तक बढ़ गया है। इसी प्रकार सेबी से पंजीकृत म्युचुअल फंडों द्वारा किए जाने वाले विदेशी निवेश की कुल सीमा भी, 4 बिलियन अमरीकी डॉलर से बढ़ा कर, सितम्बर 2007 में 5 बिलियन अमरीकी डॉलर कर दी गई। अप्रैल 2008 में इसे बढ़ा कर 7 बिलियन अमरीकी डॉलर कर दिया गया। वित्तीय सीमाएँ बढ़ाने के अलावा रिजर्व बैंक ने 'अनन्य-पहचान-संख्या (यूआईएन)' आर्बिट्रिज करने की समूची प्रक्रिया को स्वचालित कर दिया है। वैब-आधारित एप्लीकेशन के माध्यम से ऑटोमेशन करने से प्रोसेसिंग आसान हुई है जिससे आवेदन पत्रों की प्रोसेसिंग में लगने वाले समय में कमी आई है और प्रबंधन सूचना प्रणाली में भी सुधार हुआ है।

38. अतः यह देखा जा सकता है कि विश्व में कारोबार पर्यावरण में जो बदलाव आए हैं उन्हें ध्यान में रखते हुए, रिजर्व बैंक ने गतिशील कारोबार पर्यावरण के अनुकूल विदेशी मुद्रा लेन देनों से संबंधित नीतियों के समनुरूपन में, पूर्व सक्रिय भूमिका निभाई है (प्रदर्श 1)। जून 2011 में रिजर्व बैंक ने बिना पूर्वानुमति लिए भारतीय कंपनियों

⁷ 'भारतीय कंपनी द्वारा विदेशों में निवेश - नीति का विकास और प्रवृत्तियाँ', 19 जनवरी 2007 को मुंबई में आयोजित भारतीय पारदेशीय उपस्थिति/अधिग्रहणों पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में रिजर्व बैंक की उपगवर्नर श्रीमती श्यामला गोपीनाथ द्वारा दिया गया 'प्रमुख-विषय' भाषण

को निवेश में अपनी हिस्सेदारी के विनिवेश की अनुमति प्रदान की जो सशर्त थी और जहाँ कि विनिवेश से प्रत्यार्पित राशि, मूल निवेश की राशि से कम थी। जुलाई 2011 से रिजर्व बैंक बहिर्निवेश से संबंधित आँकड़े मासिक आधार पर प्रसारित कर रहा है।

39. निर्माण/शिक्षा/अस्पताल क्षेत्रों में लगे पंजीकृत ट्रस्टों, तथा सोसायटियों की पूर्वानुमति लेकर इन क्षेत्रों में कार्यरत संयुक्त उद्यम/पू.स्वा.सह.संस्थाएँ स्थापित करने की अनुमति प्रदान कर दी गई है। इसके अलावा प्रोप्रराइटी/अपंजीकृत भागीदारी फर्मों (सिद्ध ट्रैक रिकॉर्ड वाले मान्यता प्राप्त स्टार निर्यात घरानों) को रिजर्व बैंक की पूर्वानुमति से विदेश में संयुक्त उद्यम/पू.स्वा.सह.संस्थाएँ स्थापित करने की अनुमति प्रदान की गई है।

40. इसके अतिरिक्त भारत के वैश्वीकरण प्रयासों के महत्वपूर्ण उपाबंध के रूप में, उदारीकृत फेमा फ्रेमवर्क से, व्यक्तियों को लाभ लेने की अनुमति देने की जरूरत को देखते हुए तथा इस तथ्य को मान्यता देते हुए कि अर्थव्यवस्थाएँ आपस में जुड़ रही हैं, विदेशी निवेश नीति में संशोधन किया गया और व्यक्तियों को ईएसओपी योजना के अंतर्गत शेयर अधिग्रहीत करने की अनुमति प्रदान की गई तथा वर्तमान मौद्रिक सीमाओं को हटा दिया गया। इसके अतिरिक्त विदेशी संस्थाओं को व्यावसायिक सेवाएँ प्रदान करने के एवज में उन्हें शेयरों के आर्बिटन की अनुमति दी गई तथा अर्हता/अधिकार शेयरों के रूप में विदेशी प्रतिभूतियाँ अधिग्रहीत करने की भी आम अनुमति प्रदान की गई।

एफ. भारत सरकार द्वारा किए गए उपाय

41. विदेशी निवेशों को बढ़ावा देने की जरूरत को देखते हुए भारत सरकार ने छोटे निवेशकों को समर्थन देने के लिए 'कार्य-नीतिगत-योजनाएँ' बनाई। औद्योगिक नीति तथा प्रोत्साहन विभाग (डीआईपीपी) ने दक्षिण पूर्व एशिया, पूर्वी यूरोप तथा अफ्रीका की, ऐसे ज़ोनों के रूप में पहचान की है, जहाँ भारतीय कंपनियों को, आस्तियाँ अधिग्रहीत करने तथा कंपनियाँ खरीदने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। इसके अतिरिक्त 2011 में भारत सरकार ने, विदेशों में कुछ चयनित सरकारी क्षेत्र के उद्यमों द्वारा कच्चे माल की आस्तियों की खरीद की, एक नीति अनुमोदित की। संशोधित नीति के अनुसार नवरत्न कंपनियों के लिए किसी परिसंपत्ति की खरीद के लिए निवेश सीमा ₹10 बिलियन से बढ़ा कर ₹30 बिलियन कर दी गई है और महारत्न कंपनियों के लिए यह सीमा ₹50 बिलियन निर्धारित की गई है। इस सीमा से परे किसी भी अतिरिक्त राशि के लिए सरकार से अनुमोदन प्राप्त करने की जरूरत होगी। तीन वर्ष तक लगातार

प्रदर्श 1 : 2004 से विदेशी निवेश नीति में प्रमुख छूटें

पात्र भारतीय संस्थाओं द्वारा विदेशी निवेश के लिए मौद्रिक सीमा में वृद्धि	
जनवरी 2004	किसी अलग मौद्रिक सीमा के बिना अपनी नेटवर्थ के 100 प्रतिशत तक विदेशी सं.उद्य./पू.स्वा.सहा.संस्थाओं में निवेश की अनुमति
मई 2005	अपनी नेटवर्थ के 200 प्रतिशत तक निवेश की अनुमति। यह सीमा ईईएफसी खातों में धारित शेष राशियों तथा एडीआर/जीडीआर से हुई आय में से किए गए निवेशों पर लागू नहीं है।
जून 2007	ऑटोमैटिक रूट के अन्तर्गत सीमा, नेटवर्थ के 200 प्रतिशत से बढ़ाकर 300 प्रतिशत की गई।
सितम्बर 2007	ऑटोमैटिक रूट के अन्तर्गत सीमा, नेटवर्थ के 300 प्रतिशत से बढ़ाकर 400 प्रतिशत की गई।
विनिवेश के लिए सामान्य अनुमति	
मार्च 2006	ऑटोमैटिक रूट के अन्तर्गत, भारतीय पार्टियों को, कुछ शर्तों के अन्तर्गत, रिजर्व बैंक की पूर्वानुमति के बिना, विनिवेश की अनुमति प्रदान की गई।
स्वामित्व/भागीदारी संस्थाएं	
मार्च 2006	सिद्ध ट्रेड रिकॉर्ड तथा निरन्तर उच्च निर्यात कार्यनिष्पादन वाले स्टार मान्यता प्राप्त निर्यातकों को समर्थ बनाने के लिए, स्वामित्व/अपंजीकृत भागीदारी कंपनियों को, रिजर्व बैंक की पूर्वानुमति से, भारत से बाहर जेबी/डब्ल्यूओएस स्थापित करने की अनुमति प्रदान की गई।
सेबी से पंजीकृत म्युचुअल फण्डों द्वारा निवेश	
जुलाई 2006 से	म्युचुअल फंडों द्वारा विदेशी निवेश की कुल सीमा 1 बिलियन अमरीकी डॉलर से बढ़ाकर 2 बिलियन अमरीकी डॉलर की गई जो कि शनैः शनैः अब 7 बिलियन अमरीकी डॉलर तक बढ़ा दी गई है। सीमित संख्या में, अर्हता प्राप्त भारतीय म्युचुअल फंडों को, संचयी रूप से सेबी द्वारा अनुमत विदेशी ईटीएफ में 1 बिलियन अमरीकी डॉलर तक निवेश की अनुमति दी गई।
सेबी के पास पंजीकृत भारतीय उद्यम पूंजी फण्डों (वीसीएफ) द्वारा विदेशों में निवेश	
अप्रैल 2007	500 मिलियन अमरीकी डॉलर तथा सेबी विनियमों के पालन की शर्त के अधीन, बीसीएफ को "ऑफ-शोर उद्यम पूंजी संस्थाओं" की इक्विटी तथा इक्विटी से जुड़े इन्स्ट्रुमेंट्स में निवेश की अनुमति
सूचीबद्ध भारतीय कंपनियों द्वारा पोर्टफोलियो निवेश	
जून 2007	पोर्टफोलियो निवेशों के लिए सीमा, निवेशकर्ता कंपनी के पिछले लेखा परीक्षित तुलन-पत्र की तारीख को कंपनी की नेटवर्थ के 25 प्रतिशत से बढ़ाकर 35 प्रतिशत की गई।
सितंबर 2007	पोर्टफोलियो निवेशों के लिए सीमा निवेशकर्ता कंपनी के पिछले लेखा परीक्षित तुलन-पत्र की तारीख को कंपनी की नेटवर्थ के 35 प्रतिशत से बढ़ाकर 50 प्रतिशत की गई।
ऊर्जा और प्राकृतिक संसाधन क्षेत्रों में विदेशी निवेश	
जून 2008	भारतीय कंपनियों को ऊर्जा और प्राकृतिक संसाधन क्षेत्रों में, अपने पिछले लेखा परीक्षित तुलन-पत्र की तारीख को कंपनी के नेटवर्थ के 400 प्रतिशत से अधिक के निवेश की अनुमति।
पंजीकृत ट्रस्ट / सोसायटी द्वारा ओडीआइ	
अगस्त 2008	निर्माण/शिक्षा क्षेत्रों में लगे पंजीकृत ट्रस्टों तथा सोसाइटियों को भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्वानुमोदन से, भारत के बाहर, उसी क्षेत्र के सं. उद्यमों/पू.स्वा.सहा. संस्थाओं में निवेश की अनुमति दी गई।
सितम्बर 2008	भारत के ऐसे पंजीकृत ट्रस्ट तथा सोसाइटियां, जिन्होंने हॉस्पिटल स्थापित किए हैं, उन्हें, भारतीय रिजर्व बैंक की पूर्वानुमति से, भारत के बाहर, इसी क्षेत्र में सं.उद्यमों / पू.स्वा.सहा.संस्थाओं में निवेश की अनुमति प्रदान की गई।
अंतर्राष्ट्रीय परिचालनों के साथ कन्सोर्टियम में भारतीय कंपनियों की सहभागिता	
अप्रैल 2010	ऑटोमैटिक रूट के अंतर्गत सह-स्वामित्व आधार पर सब-मैरीन-केबल प्रणालियाँ बनाने और उनकी देख रेख के लिए, भारतीय कंपनियों को, अन्य अंतर्राष्ट्रीय परिचालकों के साथ कन्सोर्टियम में सहभागिता के लिए अनुमति प्रदान की गई है।
भारतीय पार्टी द्वारा जारी परफोर्मेंस गारंटियाँ	
मई 2011	विदेशों में अपनी सं. उद्यमों/पू.स्वा.सहा. संस्थाओं को वित्तीय प्रतिबद्धता आगणित करने के प्रयोजन से परफोर्मेंस गारंटियों की 50 प्रतिशत राशि को शामिल करने की अनुमति
मई 2011	भारतीय पार्टी को, सीमाओं के अधीन, ऑटोमैटिक रूट के अंतर्गत, पहली पीढ़ी की स्टैप-डाउन ऑपरेटिंग कंपनी की ओर से कापॉरिट गारंटी प्रदान करने की अनुमति।
विदेशी संस्था के तुलन-पत्र की पुनर्संरचना जिसमें पूंजी और प्राप्य राशियों को बट्टे खाते डालना शामिल है।	
मई 2011	विदेशी पू.स्वा.सहा. संस्था के भारतीय प्रमोटरों अथवा जिनकी किसी विदेशी संयुक्त उद्यम में कम से कम 51 प्रतिशत स्टैक है, उन्हें, संयुक्त उद्यम/पू.स्वा.सहा. संस्था के संबंध में पूंजी अथवा अन्य प्राप्य राशियों को बट्टे खाते लिखने की अनुमति।
किसी विदेशी सं. उद्यम / पू.स्वा.सहा. संस्था में, जिसमें बट्टे खाते डाला जाना शामिल है, में, अपने हिस्से का भारतीय पार्टियों द्वारा विनिवेश	
जून 2011	भारतीय पार्टियों को रिजर्व बैंक के पूर्वानुमोदन के बिना विनिवेश की अनुमति, जहाँ कि विनिवेश से प्रत्यावर्तित राशि मूल निवेश की राशि से कम है। यह अनुमति कुछ शर्तों के साथ दी गई है।

शुद्ध लाभ कमाने वाली कृषि, खनन, निर्माण, तथा विद्युत क्षेत्र से जुड़े सरकारी क्षेत्र के उद्यम, इस नीति के अंतर्गत पात्र होंगे। विदेश मंत्रालय तथा विदेशों में भारतीय मिशन इस खरीद की प्रक्रिया से एकदम शुरु से जुड़े रहेंगे। सरकार इस समय प्रस्तावों का मूल्यांकन कर रही है ताकि एक विशेष निवेश माध्यम अथवा इस क्षेत्र के अमीर सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के जरिए कार्यनीतिगत परिसंपत्तियों, विशेषकर ऊर्जा क्षेत्र की परिसंपत्तियों, के अधिग्रहण को सुगम बनाया जा सके।

जी. विदेशी प्रत्यक्ष बहिर्निवेश में उभरते मुद्दे बहुपरतीय संरचना से लाभ और हानि

42. एक विवादास्पद मुद्दा, जिसका कि विदेशी प्रत्यक्ष बहिर्निवेश के लिए एक पारदर्शी नीति फ्रेमवर्क प्रदान करने के लिए समाधान किया जाना जरूरी है बहुपरतीय संरचना से संबंधित है। ये प्रेरणाएँ, सही कारोबार/वाणिज्यिक विचारों से लेकर उन कराधान लाभों तक हैं जो कि वैश्विक निवेशकों के लिए उपलब्ध हैं। कुछ के अनुसार चक्रव्यूही संरचनाओं के माध्यम से अपारदर्शिता निर्मित करना भी कई बार इसके अन्दर छुपा हुआ लक्ष्य हो सकता है। जिसके कारण, कारोबारी आधारों अथवा स्वदेश हित की दृष्टि से न्यायोचित नहीं माने जा सकते, इसलिए इस संबंध में हमारे दृष्टिकोण में और अधिक स्पष्टता की जरूरत है।

प्रत्यक्ष कर आचारसंहिता के अंतर्गत नियंत्रित विदेशी कंपनियाँ

43. विदेशी निवेशों को प्रोत्साहन देने के लिए गत केंद्रीय बजट में सरकार ने संयुक्त उद्यमों/डब्ल्यू ओ एस संस्थाओं से आने वाली लाभांश राशियों के संबंध में टैक्स की दर में 50 प्रतिशत कटौती की घोषणा की थी। प्रस्तावित प्रत्यक्ष कर कोड (डीटीसी) के, नियंत्रित विदेशी कंपनियों (सीएफसी) के अंतर्गत विदेशी निवेशों से संबंधित कराधान का, भारतीय आउटवर्ड एफडीआई पर प्रभाव पड़ेगा इसलिए डीटीसी लागू होने के बाद उसके प्रभावों पर, कोई निश्चित निष्कर्ष समझने में हमें कुछ वर्ष लगेंगे।

चालू खाते घाटे पर प्रभाव

44. विदेशी मुद्रा का भंडार बढ़ने से भारत से किए जाने वाले विदेशी निवेशों सहित कई पूँजी नियंत्रणों के उदारीकरण के प्रयासों को बल मिला। चूँकि भारत चालू खाते घाटे वाली अर्थव्यवस्था है इसलिए देश से बाहर जाने वाली पूँजी पर कड़ी निगरानी की जरूरत है। हमें भारत के बढ़ते चालू घाटे खाते के वित्त पोषण के लिए पूँजी

खाते में सरप्लस की जरूरत है और इन भंडारों पर आने वाली माँगों को देखते हुए हमें विदेशी मुद्रा भंडार का स्तर आरामदायक स्थिति में रखने की जरूरत है इसलिए बाहर जाने वाली एफडीआई के लिए असीमित पूँजी बहिर्प्रवाह का, भारत की सीएडी की स्थिरता तथा बाह्य कर्ज प्रोफाइल पर काफी गहरा असर पड़ सकता है।

घरेलू निवेशों पर प्रभाव

45. एक अन्य महत्वपूर्ण कारक जिससे पूँजी बहिर्प्रवाहों की कड़ी निगरानी की जरूरत प्रकट होती है, वह है, घरेलू निवेश पर प्रभाव। यह सुनिश्चित करने की जरूरत है कि भारतीय कंपनियों द्वारा विदेशों में किए गए निवेश, घरेलू निवेशों के लिए अहितकर न हो जाएँ। हालाँकि हाल के वर्षों में घरेलू पूँजी निर्माण तथा विदेशों में किए गए एफडीआई निवेश साथ-साथ बढ़े हैं फिर भी घरेलू निवेश वृद्धि तथा रोजगार पर विदेशों में दी गई एफडीआई की बढ़ती प्रवृत्ति के संभावित प्रभावों का आकलन, उन लाभों के समक्ष किया जाना जरूरी है, जो कि घरेलू कंपनियाँ, बढ़ते बाजार आधार, पश्च तथा अग्र ऊर्ध्वात्मक एकीकरण, तथा सस्ते कुशल श्रम से अन्य जगह प्राप्त करती हैं।

46. एक वैश्विक कारोबार पर्यावरण में, देश के आउटसोर्सिंग की नीति, तटवर्ती उपस्थिति, सुरक्षात्मकता इत्यादि के कारण, एक विदेशी उपस्थिति स्थापित करना परमावश्यक है। इसलिए भारतीय कंपनियों को घरेलू कारोबार विस्तार की जरूरत तथा विदेशों में निवेशों की बाध्यताओं के बीच संतुलन रखना जरूरी होगा।

आकस्मिक बाध्यताएँ निर्मित होने का संभावित प्रभाव

47. यह पाया गया है कि हाल के वर्षों में अपने संयुक्त उद्यमों/पू.स्वा.सहा.संस्थाओं के लिए भारतीय कंपनियों द्वारा जारी गारंटियों के रूप में गैर निधि एक्सपोजर बढ़ रहे हैं (सारणी I)। अनिश्चित वैश्विक वातावरण को देखते हुए, गारंटियाँ जारी करने की संख्या में वृद्धि को देखते हुए, यह बैंकों तथा संबंधित भारतीय कंपनियों के लिए संभावित चिंता का कारण बन सकता है (जो प्रायः बैंक-टू-बैंक गारंटियाँ प्रदान करते हैं)।

विदेशी अर्थव्यवस्थाओं की आर्थिक गिरावट के प्रभाव

48. एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू जिसे ध्यान में रखा जाना चाहिए वह यह है कि कई कारणों से विदेशी कारोबार मॉडल गडबड़ में आ सकता है जैसे कि अर्थव्यवस्था का अचानक नीचे की ओर गिरना, जैसा कि हमने हाल के वैश्विक वित्तीय संकट तथा यूरो जोन प्रभुसत्ता कर्ज संकट के दौरान देखा। ऐसी घटनाएँ भारतीय कंपनियों की वित्तीय

स्थिति पर प्रतिकूल असर डाल सकती हैं, जिसका कि और आगे असर, घरेलू कंपनियों तथा बैंकिंग क्षेत्रों पर भी पड़ सकता है। वैश्विक संकट के समय भारतीय कंपनियों को अपने विदेशी निवेशों का खतरा हो सकता है। इन आंतरिक उपचयों में मॉडरेशन, तथा भारतीय संयुक्त उद्यमों/पू.स्वा.सहा. संस्थाओं को बहुराष्ट्रीय निवेश बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं से होने वाली निधीयन संबंधी कठिनाइयों के कारण भी ये चुनौतियाँ आ सकती हैं। जिन भारतीय कंपनियों ने कारोबार चक्र के उछाल के चरण में अधिक प्रीमियम पर विदेशी आस्तियों का अधिग्रहण किया था अथवा भावी वृद्धि की प्रत्याशा में इन अधिग्रहणों से पूर्व गहन विचार नहीं किया था उन्हें मंदी के दौरान भारी वैल्यूएशन हानि उठानी पड़ सकती है।

रणनीतिक अधिग्रहणों के माध्यम से सुरक्षा सुनिश्चित करना

49. उभरती अर्थव्यवस्थाएँ, ऊर्जा, जिन्सों तथा खाद्य के लिए, भावी पीढ़ियों के लिए सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए, दिनोंदिन जागरूक होती जा रही हैं। इसी कारण गत कुछ वर्षों में रणनीतिक अधिग्रहणों की बाढ़ सी आ गई है जिनमें से मुख्य हैं: कोयला खदानों, तेल क्षेत्रों आदि के अधिग्रहण, विशेष प्रयोजन निधि अथवा संबंधित क्षेत्र के सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के माध्यम से, विशेषकर ऊर्जा क्षेत्र में, विदेशी परिसंपत्तियों के अधिग्रहण के प्रस्तावों पर देश के लिए दीर्घावधि कार्यनीतिगत लाभ की दृष्टि से विचार किया जा रहा है। निधीयन के विभिन्न विकल्पों पर भी चर्चा हो रही है। हमारे विदेशी मुद्रा भंडार की प्रकृति को देखते हुए, जो कि अधिशेष से नहीं बने हैं, इस भंडार पर बाहरी क्षेत्र तथा अन्य विभिन्न प्रकार की माँगों की वजह से उत्पन्न तनाव को देखते हुए इस प्रकार के उद्यमों का निधीयन इस भंडार से करना कोई साध्य विकल्प नहीं लगता। अतः इस प्रयोजन के लिए प्रभुसत्ता समर्थन के समक्ष विदेशी उधार अथवा विशेष उपकर लगाकर घरेलू संसाधन जुटाकर "सरकारी - निजी-सहभागिता मॉडल" में, सरकारी क्षेत्र के संसाधनों का उपयोग जैसे अन्य विकल्पों पर भी विचार किया जा सकता है।

एच. आगे की राह

व्यक्तियों तथा एलएलपी द्वारा निवेश

50. आज हमारे पास व्यक्तियों द्वारा विदेशी निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए एक सहायक विनियामक पर्यावरण है। तथापि हमें वर्तमान सीमाओं (कैप्स) की जाँच की जरूरत है और इन्हें उदारीकृत धनप्रेषण योजना (एलआरएस) के अंतर्गत लागू मौद्रिक सीमाओं के

साथ इन्हें जोड़ने की जरूरत है (अनुमत चालू और पूंजी खाता लेन देनों के लिए 2 लाख अमरीकी डॉलर का धन प्रेषण)। जिन कुछ सीमाओं के युक्तिकरण की जरूरत है उनमें अर्हता शेरर अधिग्रहीत करने, किसी विदेशी संस्था को दी गई व्यावसायिक सेवाओं के आंशिक/पूर्ण कन्सिड्रेशन में विदेशी संस्था के शेरर लेने, या निदेशक के रेम्युनरेशन के बदले शेरर लेने, और वैश्विक रूप से, समान आधार पर, ऐसी विदेशी कंपनी के ईएसओपी योजना के जरिए प्रस्तावित किए गए शेरर अधिग्रहीत करना, जिसकी कि भारतीय कंपनी में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से "इक्विटी-स्टेक" शामिल है। भारतीय रिजर्व बैंक ने संबंधित मन्त्रालयों के परामर्श से निम्नलिखित निर्णय लिए हैं :

- क. अर्हता शेरर अधिग्रहीत करने के लिए, निवासी व्यक्तियों हेतु सीमा पर, एक प्रतिशत की वर्तमान कैप को हटाना तथा उसे एलआरएस के अधीन, मौद्रिक सीमा से जोड़ना।
- ख. निवासी व्यक्तियों को, किसी विदेशी कंपनी को दी गई व्यावसायिक सेवाओं के आंशिक/पूर्ण कंसिड्रेशन में, अथवा निदेशक के रेम्युनरेशन के बदले किसी विदेशी संस्था के शेरर अधिग्रहीत करने की सामान्य अनुमति प्रदान करना, जिसमें मौद्रिक सीमा, एलआरएस के अन्तर्गत निर्धारित सीमा के अनुसार होगी; तथा
- ग. निवासी भारतीय कर्मचारियों अथवा निदेशकों को, वैश्विक रूप से समान आधार पर, ऐसी विदेशी कंपनी में ईएसओपी योजना के जरिये शेरर अधिग्रहीत करने की सामान्य अनुमति प्रदान करना जिसकी कि, भारतीय कंपनी में, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, इक्विटी स्टेक है।
51. व्यक्तियों को एल आर सीमा के भीतर, एक पारदर्शी नीति फ्रेमवर्क के अंतर्गत विदेश में संयुक्त उद्यम/डब्ल्यू ओ एस संस्था स्थापित करने की अनुमति देने से संबंधित मुद्दों की भी जांच की जा रही है।
52. वर्तमान विनियमों में पंजीकृत फर्मों को, विदेशों में निवेश करने की अनुमति है। एलएलपी अधिनियम पारित हो जाने से अब विनियम की समीक्षा करने की जरूरत है और साथ ही यह जाँच करने की भी, कि क्या एलएलपी को भी, विदेश में संयुक्त उद्यम/डब्ल्यूओएस संस्था में निवेश करने की अनुमति प्रदान की जाए।

बहु-परतीय संरचनाओं के प्रति दृष्टिकोण

53. बहु-परतीय संरचनाओं के परिप्रेक्ष्य में, कराधान एक विवादास्पद मुद्दा है और चर्चा का विषय है। इसे मधुर वाणी में 'ट्रीटी

शॉपिंग' अथवा 'टैक्स आयोजना' अथवा 'कर से बचाव' भी कहा जाता है और विदेशों में किए जाने वाले एफडीआई पर इसके प्रभाव भी हैं। हमें किसी नीति के बारे में निर्णय लेने से पूर्व, विभिन्न क्षेत्राधिकारों में विधिक/कारोबारी जरूरतों पर विचार करने के बाद इस मुद्दे पर एक स्पष्ट नीति बनानी है ताकि या तो इसे सुगम बनाया जाए या फिर ऐसे निवेश उद्देश्यों को प्रतिबंधित किया जाए। भारत सरकार तथा सभी जोखिमधारकों के साथ परामर्श के बाद, रिजर्व बैंक, इन मुद्दों की जांच, संपूर्ण रीति से करना चाहेगा।

वैश्विक कारोबारी चक्रों से होनेवाले जोखिम

54. विदेशों में किए जाने वाले निवेशों की परियोजनाओं में सफलता, वैश्विक अर्थव्यवस्था में कारोबारी चक्रों पर भी निर्भर करेगी। कारोबारी चक्र के उफान चरण में शुरू की गई, कोई बहिर्निवेश एफडीआई परियोजना, चक्र के गिरावट चरण में, हो सकता है, साध्य न रहे। उदाहरण के लिए ऑटोमेटिव धातु तथा रसायन क्षेत्रों में परिचालन करने वाली एमएनसी (बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ) हाल के वैश्विक संकट से लगे आघातों के प्रति काफी संवेदनशील रहीं (यूएनसीटीएडी, 2009)⁸। अतः, चाहे सीधा निवेश आमतौर पर स्वदेश - अर्थव्यवस्था के चिर हित में ही किया जाता है फिर भी कंपनियों को चाहिए कि वे वैश्विक कारोबारी चक्रों के प्रति अपनी कारोबारी गतिविधि की संवेदनशीलता की डिग्री पर भी ध्यान दें।

आइ. निष्कर्ष

55. कई ऐसे विचारक हैं, जिनका यह कहना है कि भारतीय कंपनियों द्वारा विदेशों में किए जाने वाले निवेश, तटवर्ती (ऑन शोर) निवेश की कीमत पर किए जाते हैं। एक ऐसे प्रकट कारण, जो कंपनियों को तटवर्ती निवेश करने में रुकावट बनता है - वह है - नीतिगत तथा प्रक्रियागत रूकावटें। कोई भी अर्थव्यवस्था, जो पूंजी खाता परिवर्तनीयता के प्रति अनुसंशोधित दृष्टिकोण अपनाती है वह बहिर्निवेशों की अनुमति देते समय कुछ नियन्त्रण भी लागू कर सकती है। जहाँ तक ये रूकावटें अर्थव्यवस्था के हित में हैं वहाँ तक तो इन्हें नीति-निर्देशन ही समझा जाना चाहिए। जैसे-जैसे भारतीय कार्पोरेट

जगत स्पर्धाशील होता जाएगा वैसे-वैसे यह अपनी भावी विकास योजनाओं के अंश के रूप में वैश्विक अवसरों के एक्सप्लोरेशन को और शिदत से लेता जाएगा। कार्यनीतिगत संसाधनों के अधिग्रहण से संबंधित, विदेशों में किए जाने वाले सीधे निवेश, बाजार आधार का विस्तार, स्थानीय बाजारों के लिए नई प्रौद्योगिकी के प्रयोग, आदि से, भारत में दीर्घावधि विकास होगा तथा भारतीय कंपनियाँ टेक्नोलॉजी का प्रयोग कर पाएंगी और प्रबंधकीय कौशल में भी सुधार कर पाएंगी। इसके अलावा, ऐसे विदेशी निवेशों के जरिए भारतीय कंपनियाँ, विकसित तथा विकासशील देशों में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा पाएंगी और इन अर्थव्यवस्थाओं को नवजीवन और रोजगार प्रदान करने में बड़ा योगदान देगी।

56. प्राइस वाटर हाउस कूपर्स की एक ताजा (2010) रिपोर्ट के अनुसार, भारत 2024 तक "उभरती बाजार बहुराष्ट्रीय कंपनियों" का सबसे बड़ा स्रोत हो सकता है⁹। इस अवधि तक भारत में बहुराष्ट्रीय कंपनियों की संख्या चीन से 20 प्रतिशत अधिक होगी और आगामी 15 वर्षों में 2,200 से अधिक भारतीय कंपनियों के, विदेशों में निवेश करने की संभावना है। रिपोर्ट में यह आशा भी की गई है कि अन्य उभरते राष्ट्रों में, क्षेत्र के भीतर निवेश में और आगे शिफ्ट होगा तथा नई बहुराष्ट्रीय कंपनियों का अधिकांश हिस्सा सीधे उन्नत अर्थव्यवस्थाओं को ही जाएगा। रिपोर्ट में विशेषकर यह भी प्रोजेक्ट किया गया है कि भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ, कारोबारी सेवाओं और उच्च वैल्यू के निर्माण क्षेत्रों में अपना एक विशेष स्थान बना लेंगी।

57. अतः यह परमावश्यक है कि सभी जोखिमधारक, जिनमें सरकार, रिजर्व बैंक, आप जैसी व्यावसायिक संस्थाएं तथा भारत के कारपोरेट्स शामिल हैं, अपने साझे अनुभव और समझ के साथ आगे आएँ और स्वदेशी उपायों सहित, सभी नीतियों और प्रक्रियाओं की समीक्षा करें ताकि बहिर्निवेश एफडीआई के जरिये हमारे वैश्वीकरण के प्रयास और सुगम हों तथा हमारी विशाल घरेलू अर्थव्यवस्था तथा इसकी बृहत् आर्थिक स्थिरता को किसी प्रतिकूल असर का सामना न करना पड़े।

⁸ यूएनसीटीएडी (2009), *वर्ल्ड इनवेस्टमेंट प्रोस्पेक्ट्स सर्वे 2009-11*, संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास क्रान्सेन्स (अंकटाड), न्यूयॉर्क तथा जेनेवा।

⁹ प्राइस वाटर हाउस कूपर्स (2010), उभरती बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ : 'उभरती अर्थव्यवस्थाओं से नई बहुराष्ट्रीय कंपनियों का उदय', अप्रैल।